



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 3293-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2015

दिनांक: 07 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिक को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त करते हुए, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-04 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-05 में उल्लिखित पद पर अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुए, तदनुसार प्रोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं0	नाम/सम्प्रेक्षा सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरेन्द्र गुप्तरिशी 9128/बरेली 31.03.2025/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद पारोषण खण्ड, कानपुर।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 24.01.2014
2.	मुनीन्द्र कुमार (अनु0जा0) 9132/इटावा 31.08.2025/जानपद अधिशाली अभियन्ता सम्बद्ध विद्युत जानपद पारोषण मण्डल, मुरादाबाद।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 24.01.2014
3.	शत्रुघ्न राम (अनु0जा0) 9134/बलिया 31.05.2027/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत पोल निर्माण खण्ड, वाराणसी।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 24.01.2014
4.	अविनाश चन्द्रा (अनु0जा0) 9136/आगरा 31.08.2026/जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, गाजियाबाद।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 24.01.2014

5.	श्रीयुत श्री कृष्ण (अनु0जा0) 9504 / सीतापुर 31.08.2016 / जानपद अधिशाली अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, गोरखपुर।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता 24.01.2014
----	--	------------------	----------------	--------------------------------

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 3293-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2015 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
 - 2- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल / पूर्वान्चल / दक्षिणान्चल / पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / केस्को लि0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्मिक को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति का यथाव्योचित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
 - 5- समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
 - 7- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 8- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी / पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
 - 9- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 10- सम्बन्धित अधिकारीगण / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाईल।

आज्ञा से,
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव